भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के संशोधनों पर रिपोर्ट सं. 246 का अनुपूरक

“लोक नीति”

रिपोर्ट सं. 246 – पश्चात् परिवर्धन

फरवरी, 2015

न्यायमूर्ति अजित प्रकाश शहा
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाा : 23736758 फैक्स : 23355741

Justice Ajit Prakash Shah
Former Chief Justice of Delhi High Court
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone : 23736758, Fax : 23355741

अ.शा. सं. 6(3)/238/2014-एल.सी.(एल.एस.) तारीख : 6 फरवरी, 2015

प्रिय श्री सदानन्द गौड़ा जी,

भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सं. 246 के माध्यम से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के कतिपय संशोधनों को सुझाया था । रिपोर्ट सरकार को 5 अगस्त, 2014 को प्रस्तुत की गई थी । तथापि, **ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड** बनाम **वेस्टर्न जीको इन्टरनेशनल लि0 ;** और **एशोसिएट बिल्डर्स** बनाम **दिल्ली विकास प्राधिकरण** वाले दो निर्णयों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 34 के **"लोक नीति"** पद का विस्तार से निर्वचन किया । इसके कारण भारत के विधि आयोग को उस धारा पर विचार करना और इसमें परिवर्तन का सुझाव देना आवश्यक हो गया । तदनुसार, आयोग ने अधिनियम की धारा 34 के परिशीलन का कार्य पुनः आरंभ किया और यह **"लोक नीति" - रिपोर्ट सं. 246 - पश्चात् परिवर्धन** शी-र्ाक से रिपोर्ट सं. 246 के अनुपूरक के रूप में भेजा जाता है । अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करते समय इस पर ध्यान दिया जाए । आगे यह कहा जाता है कि इस रिपोर्ट की एक प्रति ई-मेल के माध्यम से विधि सचिव श्री पी. के. मल्होत्रा को भेजी गई और उनकी सहमति अभिप्राप्त की गई क्योंकि वे इस समय देश के बाहर हैं ।

सादर,

भवदीय
ह0/-
(अजित प्रकाश शहा)

श्री डी, वी. सदानन्द गौड़ा
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

“लोक नीति”
रिपोर्ट सं. 246 पश्चात् परिवर्धन

भारत के विधि आयोग को अधिनियम के कार्यकरण में पाई गई कई अपर्याप्तताओं को ध्यान में रखते हुए माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (“अधिनियम”) के उपबंधों को पुनर्विलोकन का कार्य सौंपा गया था । व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात्, आयोग ने कतिपय सिफारिशें कीं और अधिनियम में विभिन्न संशोधन प्रस्तावित किए । यह “माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के संशोधन” शीर्-षक से आयोग की 246वीं रिपोर्ट जो 5 अगस्त, 2014 को भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी से प्रतिबिंबित है ।

2. अधिनियम का अधिनियमन अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू माध्यस्थम्, अंतररा-ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से किया गया है । विद्यमान 1940 अधिनियम को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रारुपित अधिनियम का उद्देश्य न्यूनतम न्यायालय हस्तक्षेप के साथ शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है । यह माध्यस्थम् और सुलह विधेयक, 1995 के उद्देश्यों और कारणों के कथन से सुनिश्चित किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं :

क. अंतररा-ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और सुलह और घरेलू माध्यस्थम् और सुलह को भी व्यापकतः समाहित करना ;

ख. माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यायालयों की पर्यवेक्षणीय भूमिका को कम करना ;

ग. यह उपबंध करना कि प्रत्येक अंतिम माध्यस्थम पंचाट को उसी रीति से प्रवृत्त करना मानो यह न्यायालय की डिक्री हो ।

3. इस प्रकार, यह सुस्प-ट है कि अधिनियम का लक्ष्य भारत में

अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् को बढ़ाना और तद्द्वारा विदेशी विनिवेश को बढ़ाना है । इस प्रयोजन के लिए, अधिनियम अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् यूनसीट्राल सुलह नियम, 1980 पर आधारित है । निश्चित ही विदेशी निवेशक प्रायः स्थानीय न्ययालयों में मुकदमेबाजी के बजाए माध्यस्थम् को अधिमान देते हैं, कई विधिक प्रणालियां प्रति-माध्यस्थम् की व्यवस्था करने की ईप्सा करती है अतः, विनिवेश अनुकूल पर्यावरण पैदा करती हैं । उदाहरणार्थ, यू. के. सरकार ने यह घोषित किया कि 2011 की अर्थव्यवस्था में विधिक सेवा सेक्टर ने 20.9 विलियन जी. बी. पी. का अभिदाय किया जिसमें से अधिकांश माध्यस्थम् से आया क्योंकि लंदन माध्यस्थम् के लिए प्रमुख अधिमानी केंद्र है ।[1] आज की कीमत के अनुसार यह वर्ष में 2.9 लाख करोड़ रुपए के समतुल्य है ।

4. इस अनुपूरक रिपोर्ट का मुख्य कारण यह है कि भारत में माध्यस्थम् को और सुसंगत बनाने के लिए आवश्यक संशोधनों पर विधि आयोग अपनी 246वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक मास पश्चात् **ओ.एन.जी.सी. लि.** बनाम **वेस्टर्न जीको इन्टरनेशनल लि.[2] ("वेस्टर्न जीको")** वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने "भारतीय विधि की मूल नीति" पद के भीतर युक्तियुक्तता के वेंसबरी सिद्धांत को सम्मिलित करते हुए व्यापकतः अधिनियम की धारा 34 के "लोक नीति" पद का निर्वचन किया ।

5. आयोग की अपनी 246वीं रिपोर्ट की सिफारिशों का आशय माध्यस्थम् के माध्यम से विवादों के समाधान में निष्पक्षता, गति और मितव्ययिता लाना ; अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुरूप भारत में माध्यस्थम पद्धति का विकास करना ; और माध्यस्थम् विषयों में व्यापक न्यायिक हस्तक्षेप को

---

[1] यू. के. न्याय मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यू. के. विधिक सेवा : आधारिक संवर्धन और स्थिरता (2013) <http//www.justice.gov.uk/downloads/publications/corporate-reports/MoJ/legal-services-action-plan-0313.pdf>

[2] 2014 (9) एस. सी. सी. 263.

कम करना था । सिंगापुर, हांगकांग और लंदन जैसे अधिक निवेशक-अनुकूल अधिकारिताओं के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थमों के अधिमानी स्थान के रूप में यद्यपि सुस्थिर किंतु धीरे-धीरे भारत में जड़े जमाने के लिए अनिवार्य समझा गया । वस्तुतः, वर्तमान अधिनियम की खामियों के परिणामस्वरूप अब भारतीय पक्षकार भी माध्यस्थम् कार्यवाहियां विदेश में संस्थित करने की प्राथमिकता दे रहे हैं । सरकार ने भी माध्यस्थम् कार्यवाहियों में अधिक न्यायिक हस्तक्षेप की समस्या का संज्ञान लिया और अंतरराष्ट्रीय मानकों के समतुल्य भारत में संस्थागत माध्यस्थम् को स्थापित करने और विख्यात करने की आवश्यकता पर बल दिया । इस संदर्भ में, माध्यस्थम् और विधिक प्रक्रिया के बाह्यस्रोत के लिए विश्व-केंद्र में भारत को विकसित करने के लिए यह वचनबद्ध है ।[3] आयोग की अपनी 246वीं रिपोर्ट और इस अनुपूरक रिपोर्ट की सिफारिशें इस उद्देश्य को पूरा करने में सार्थक है ।

6. तथापि, वेस्टर्न जीको वाले मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरुप अधिनियम को लाने के आयोग के प्रयत्नों को महत्वहीन करता है और भारत में अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् की कार्यवाही आरंभ होने और घरेलू माध्यस्थम् के स्थायी बने रहने की संभाव्यता को निरुत्साहित करेगा । परिणामतः, अधिनियम की प्रस्तावित धारा 34 (246वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार) को और संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ।

7. अधिनियम की धारा 34 में "लोक नीति" की व्याख्या

7.1 किसी माध्यस्थम् पंचाट में हारने वाले पक्षकार को उपलब्ध बचावों में से एक बचाव अधिनियम की धारा 34 के अधीन इसकी चुनौती देना है जो माध्यस्थम् पंचाटों को अपास्त करने के आवेदनों के

[3] विधि और न्याय तथा संसूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार, विधि आयोग के अध्यक्ष को पत्र, अ.शा. सं. 304 एम.एल.जे./वी.आई.पी./2014 तारीख 18 जून, 2014.

बारे में है । ऐसी चुनौती के लिए उपवर्णित आधार विनिश्चय करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं और ये पंचाट के गुण-दो-ा के किसी भाग की परीक्षा का उपबंध नहीं करते । वे व्यक्ततः विस्तारी भी हैं । पंचाट को अपास्त करने का एक ऐसा आधार अधिनियम की धारा 34(2)(ख)(ii) में उपबंधित है यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि पंचाट भारत की "लोक नीति" के प्रतिकूल है ।

7.2 "लोक नीति" पद को 1996 अधिनियम या किसी अन्य कानून[4] में परिभा-ित नहीं किया गया है । वस्तुतः, अनेक मामलों में, उच्चतम न्यायालय ने स्वयं स्वीकार किया है कि "लोक नीति" पद "अविश्वसनीय पथ प्रदर्शक" या "बेलगाम घोड़े" की तरह है ।[5] बाद वाली पदावली काफी पहले 1824 में इंग्लैंड में "लोक नीति" पद के लिए गढ़ी गई थी ।[6]

7.3 माध्यस्थम् पंचाट (यून्सीट्राल मोडल ला और अधिनियम के अधीन) को अपास्त करने की न्यायालयों की शक्ति का अभिप्राय गुण-दो-ा के आधार पर माध्यस्थम् पंचाट को उलटने की अनुज्ञप्ति होना कभी नहीं था ।[7] यह विचार करते हुए कि क्या माध्यस्थम् पंचाट धारा

---

[4] लोक नीति के विरुद्ध संविदा भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23 के अधीन शून्य है । **घेरुलाल पारिख** बनाम **महादेव दास** (1959) सप्ली. (2) एस. सी. आर. 206 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह उल्लेख करते हुए निर्वचन किया गया था कि "लोक नीति" एक अविश्वसनीय पथ प्रदर्शक है । यह भी उल्लेखनीय है कि यू. के. ने सिविल ला और कामन ला देशों के बीच मतभेदों को इंगित करते हुए एक टिप्पण लिखकर पद को सम्मिलित करने के विरुद्ध प्रतिवाद किया था । तथापि, यून्सीट्राल चुनौती के आधार के रूप में लोक नीति को प्रतिधारित करने पर सहमत है ।

[5] **पी. रतिनम** बनाम **भारत संघ,** (1994) 3 एस. सी. सी. 394 : **भारत संघ** बनाम **श्री गोपाल चन्द्र मिश्र,** ए.आई.आर. 1978 एस. सी. 694 ; **घेरुलाल पारिख** बनाम **महादेव दास,** (1959) सप्ली. (2) एस.सी.आर. 206.

[6] **रिचर्डसन** बनाम **मेलिस (1824-34)आल ई.आर. रिपोर्ट 258, न्या. बरो के अनुसार ।**

[7] जीन-पॉल बेरोडो, माध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के आधार के रूप में विधि की घोर त्रुटि, 23(4) अंतर माध्यस्थम् का न्या. 351 (2006) : पैट्रीसिया नैसीमिएन्टो अनुच्छेद 5(1)(क), हर्बट क्रोनके, पैट्रीसिया नैसीमिएन्टो, ईट एल (संस्क.) ; विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन, न्यूयार्क अभिसमय 205-230 की वैश्विक व्याख्या (क्लूवेर ला इंटरनेशनल 2010) ।

34 के अधीन "भारत की लोक नीति के प्रतिकूल" है, न्यायालयों से अपील न्यायालय के रूप में कार्य करने के बजाए पुनर्विलोकन न्यायालय के रूप में कार्य करना अनुमित है ।[8]

7.4 तदनुसार माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के अधीन 1994 के **रेणुसागर पावर कं. लि.** बनाम **जनरल इलेक्ट्रिक कं.**[9] **("रेणु सागर")** एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख करते हुए "लोक नीति" पद का संकीर्ण निर्वचन किया :

> *उक्त मानदंड को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विदेशी पंचाट के प्रवर्तन से इस आधार पर इनकार किया जा सकता है कि यह लोक नीति के प्रतिकूल है यदि ऐसा प्रवर्तन (i) भारतीय विधि की मूल नीति ; या (ii) भारत के हित ; या (iii) न्याय या नैतिकता के प्रतिकूल है ।*
>
> *"यद्यपि 'भारतीय विधि की मूल नीति' पद को परिभानित नहीं किया गया है, फिर भी मामले के संदर्भ से यह दर्शित होता है कि न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार किया कि ऐसा अंतररा-ट्रीय पंचाट जो (चक्रवृद्धि ब्याज अधिनिर्णीत कर) भारतीय विधि का मात्र अतिक्रमण करता है, लोक नीति का अतिक्रमणकारी होगा । निर्णय का अन्य मामलों में अनुसरण किया गया ।*

7.5 तत्पश्चात् **ओ.एन.जी.सी. लि.** बनाम **सा पाइप्स लि.**[10] (**"सा पाइप्स"**) वाले मामले के अपने 2003 विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय

---

[8] वही .

[9] (1998) एस. सी. सी. सप्ली. (1) 644.

[10] (2003) 5 एस. सी. सी. 705.

ने जहां तक माध्यस्थमों में न्यायिक हस्तक्षेप का संबद्ध था, सैलाब का द्वार खोल दिया । उसने “प्रकट अवैधता” के मामले को सम्मिलित करते हुए “लोक नीति” की परिभा-ा का विस्तार किया । ऐसा करते हुए उसने कहा :

> *अतः, हमारे विचार से, संदर्भ में धारा 34 में प्रयुक्त ''भारत की लोक नीति'' पद का व्यापक अर्थ ..... दिए जाने की अपेक्षा है । तथापि, ऐसा पंचाट जो इसके देखने से ही प्रकटतः कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण में है, को लोकहित में होना नहीं कहा जा सकता । ऐसे पंचाट/नियम/विनिश्चय से न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ..... पंचाट को अपास्त किया जा सकता है यदि यह -*
>
> *(क) भारतीय विधि की मूल नीति ;*
>
> *(ख) भारत के हित ; या*
>
> *(ग) न्याय या नैतिकता ;*
>
> *(घ) इसके अलावा, यदि यह प्रकटतः अवैध है ।*
>
> अवैधता मामले की जड़ तक फैली होनी चाहिए और यदि अवैधता नगण्य प्रकृति की है तो यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि पंचाट लोक नीति के विरुद्ध है ।

8. “लोक नीति” के निर्वचन की आलोचना

8.1 सा पाइप्स वाले मामले के विनिश्चय ने प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं और शिक्षाविदों को काफी प्रतिकूल टिप्पणियां देने का अवसर दिया । प्रख्यात न्यायविद् और वरि-ठ अधिवक्ता फाली नरीमन ने

प्रतिवेदितः यह कहा कि निर्णय :

ने....... वस्तुतः पूरे माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की अवज्ञा कर दी है । .... यदि न्यायालय सतत् यह अभिनिर्धारित करते रहे कि तथ्यों और विधि पर उनका ही कहना अंतिम होगा तो आवश्यकतः तथ्यों और विधि वाले वि-ायों को माध्यस्थम् द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए निर्दि-ट करने के सहमतिजन्य करार के होते हुए भी - 1996 अधिनियम को असंबद्ध (निकाल) कर दिया जाए ।

न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खंड न्यायपीठ विनिश्चय ने माध्यस्थम् विधि की संपूर्ण रुपरेखा को परिवर्तित कर दिया है और घड़ी की सुई वहीं कर दी है जहां से हमने पुराने 1940 अधिनियम के अधीन आरंभ किया था ।[11]

8.2 अन्य लोगों ने भी माध्यस्थम् पंचाटों और अनुज्ञेय न्यायिक पुनर्विलोकन के बीच धारा 34 के अधीन नाजुक संतुलन को अस्थिर करने और अभिलेख के देखने पर प्रकट विधि की त्रुटि के लिए माध्यस्थम् पंचाटों को चुनौती देने हेतु समर्थ बनाने की 1996 पूर्व-स्थिति को प्रत्यावर्तित करने के लिए सा पाइप्स की आलोचना की ।[12]

8.3 उच्चतम न्यायालय ने व-र्ा 2006 में **मैक्डर्मोट इन्टरनेशनल**

---

[11] श्री फली एस. नरीमन, अवसंरचना में विधिक सुधार 2 मई, 2003 को नई दिल्ली में दिया गया भा-ाण और सुमीत कछवाहा, भारत में माध्यस्थम विधि : एक आलोचनात्मक विश्ले-ाण से उद्धृत, 1 इन्ट एआरबी. एल.आर 13, 15 (2007).

[12] डी. आर. धानुका **ओ.एन.जी.सी.** बनाम **सा पाइप्स लि.** निर्णय का आलोचनात्मक विश्ले-ाण - वृहत्तर न्यायपीठ द्वारा विचार का अभिवाक्, 51(3) ए.आर.बी. एल.आर. (2003) ; एस. गुप्ता लोक नीति पर माध्यस्थम् पंचाट की चुनौती : **ओ.एन.जी.सी.** बनाम **सा. पाइप्स, 52(3) ए.आर.बी. एशियन इन्टरनेशनल ए.आर.बी. न्या. 64,70 (2008)** ; आलोक रे और दीपेन शभरवाल **इंडियन आबिट्रेशन एट क्रास रोड 1(6) ग्लोबल ए.आर.बी. रिव्यू (2006)** ।

इंक बनाम **बर्न स्टैन्डर्ड कोयला कंपनी**[13] वाले मामले में यह उल्लेख किया कि **सा पाइप्स** वाले मामले की आलोचना विभिन्न क्षेत्रों से हो रही है, किंतु निर्णय को उलटने का मुद्दा बृहत्तर न्यायपीठ पर छोड़ दिया । न्यायमूर्ति सिन्हा ने यह मत व्यक्त किया :

> *हम यह नहीं भूल जाना चाहते कि ओ.एन.जी.सी. वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के प्रति काफी प्रतिकूल टिप्पणियां हुई हैं किंतु उक्त विनिश्चय की शुद्धता या अन्यथा का विचारण हमारे समक्ष प्रश्नगत नहीं है । उक्त विनिश्चय की शुद्धता या अन्यथा पर विचार वृहत्तर न्यायपीठ ही कर सकती है । उक्त विनिश्चय हमारे लिए आबद्धकर है ।*

8.4 इसी प्रकार, **सेन्ट्रोट्रेड मिनरल और मेटल इंक** बनाम **हिंदुस्तान कापर लि.**[14] वाले मामले में न्यायालय ने उल्लेख किया, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या वह "सा पाइप्स वाले मामले की तर्कणा" से सहमत या असहमत है, उसके पास विनिश्चय का पालन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था ।

9. विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों को चुनौती देने के लिए सा पाइप्स का विस्तार करना

9.1 1996 अधिनियम की धारा 48(2)(ख) भी विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों के अप्रवर्तन का उपबंध करती है यदि "पंचाट का प्रवर्तन भारत की लोक नीति के प्रतिकूल है ।"

9.2 सामान्य अंतररा-ट्रीय मत यह है कि क्योंकि विदेशी पंचाटों

---

[13] 2006(2) ए.आर.बी. एल. आर. 498, 531 (एस.सी.).

[14] 2006 (2) ए.आरबी. एल. आर. 547, 575-576 (एस.सी.).

के प्रवर्तन का विनियमन न्यूयार्क कन्वेंशन ("एन.वाई.सी.") द्वारा होता है इसलिए, एन. वाई. सी. के अनुच्छेद V(2)(ख) में अंतर्वि-ट और अधिनियम की धारा 48(2)(ख) में सम्मिलित "लोक नीति" पद का निर्वचन एन.वाई.सी. के उद्देश्यों के अनुरुप किया जाना चाहिए । ऐसे अनेक अंतररा-ट्रीय विनिश्चय हैं जो यह उल्लेख करते हैं कि एन. वाई. सी. के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन की अड़चनों को दूर करना है ।[15] इन मामलों में आगे कहा गया है कि जब एन.वाई.सी. के किसी पद का निर्वचन दो तरह से किया जा सकता हो तो प्रवर्तन अनुकूल निर्वचन को अंगीकार किया जाना चाहिए । परिणामतः, यह अंतररा-ट्रीय मत है कि "लोक नीति" पद का संकीर्ण अर्थान्वयन किया जाना चाहिए ।[16] **ग्लेनकोर ग्रेन रोर्टडम बी. बी.** बनाम **शिवनाथ राय हरनारायण (भारत) कं.**[17] **("हरनारायण")** वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के विनिश्चय से यह प्रतिबिंबित होता है जहां न्यायालय ने "लोक नीति" पद के अर्थान्वयन के लिए "सा पाइप्स" वाले मामले का अवलंब न लेकर रेणू सागर वाले मामले का अवलंब लिया । तथापि, एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि धारा 48(2)(ख) के निर्वचन के लिए सा पाइप्स वाले

---

[15] **ओल्टचिम, एस. ए.** बना **वेल्को केमिकल्स, इंक, वाणिज्यिक माध्यस्थम की ईयर बुक, जिल्कद XXX (2006), यू.एस. सं. 528 पृ-ठ, 992,** ग्रेकान डिमटर इंक (जर्मनी) बनाम **नार्मनन्द इंक (कनाडा)** और **साइरियी थामस लुइस ट्रेम्बले इंक (कनाडा) कनाडा** सं. 22, पृ-ठ 611 ; **थेरेस बालार्ड** बनाम **इलियोनिस सेन्ट्रल रेल रोड कंपनी और आर. एल. क्लार्क, वाणिज्यिक माध्यस्थम की ईयर बुक**, जिल्द xxxi (2006) यू. एस. सं. 526, पृ-ठ 978 भी देखें ।

[16] **ब्रोस्ट्राम टैन्कर्स ए.बी.(स्वीडन)** बनाम **फैक्ट्रीज वल्कानो एस.ए. (स्पेन), वाणिज्यिक माध्यस्थम् की ईयर बुक,** XXX(2005), आयरलैंड सं. 1, पृ-ठ 591, **सेलर** बनाम बायर, वाणिज्यिक माध्यस्थम की ईयर बुक, जिल्द XXXIX (2004), जर्मनी सं. 59, पृ-ठ 697 ; **इक्सक्लूसिब डिस्ट्रीब्यूटर** बनाम **सेलर,** वाणिज्यिक माध्यस्थम् की ईयर बुक, जिल्द XXXIX (2004), जर्मनी सं. 61, पृ-ठ 715 ; फोटोक्रोम इंक **बनाम** कोपाल कंपनी लिमिटेड (दूसरा सर्किल 1975) 517 एफ. सेकन्ड 512 भी देखें ।

[17] 2008(4) ए.आर.बी. एल.आर. 497 (दिल्ली).

मामले की विनिश्चय लागू होगा ।[18]

9.3 यह आशा की गई कि हरनारायण वाले मामले में व्यक्त मत देश की विधि हो जाएगी । तथापि, **फूलचन्द एक्पोर्ट लि.** बनाम **ओ. ओ. ओ. पैट्रियाट**[19] (**"फूलचन्द"**) वाले मामले में व-र्न 2011 में उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद वाले मत को स्वीकार किया गया जहां उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "भारत की लोक नीति" पद के अधीन "प्रकट अवैधता" पर अधिनियम की धारा 48(2)(ख) के अधीन विदेशी पंचाट के प्रवर्तन की परीक्षा करते समय भी विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

9.4 फूलचन्द वाले मामले के निर्णय को **श्री लाल महल लि.** बनाम **प्रोगेटो ग्रानो स्पा**[20] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा उलट दिया गया और रेणूसागर वाले मामले के संकीर्ण निर्वचन को 1996 अधिनियम की धारा 48 के संदर्भ में लागू होना अभिनिर्धारित किया गया ।

10. विधि आयोग की 246वीं रिपोर्ट और वेस्टर्न जीको वाले मामले का विनिश्चय

10.1 विधि आयोग ने 246वीं रिपोर्ट में इसी संकीर्ण मानक अर्थात् यह कि भारत में हुए अंतररा-ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थमों के मामलों में भारत की विधि का मात्र अतिक्रमण "लोक नीति" का अतिक्रमण नहीं होगा, का उपबंध किया है । उसने यह सुनिश्चित करने के प्रयास के साथ अधिनियम की धारा 34 में सारवान संशोधन करने

---

[18] **टोयपफर इन्टरनेशनल एशिया प्रा. लि.** बनाम **प्रियंका ओवरसीज प्रा. लि.** 2007(4) ए.आर.बी. एल.आर. 499 (दिल्ली) ।

[19] 2011(11) स्केल 475.

[20] (2014) 2 एस. सी. सी. 433.

का सुझाव दिया कि रेणुसागर वाले मामले की स्थिति सभी विदेशी पंचाटों और अंतररा-ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थमों में पारित सभी माध्यस्थमों को लागू हो । घरेलू माध्यस्थमों के संबंध में, आयोग ने यह सिफारिश की कि "प्रकट अवैधता" कसौटी को प्रतिधारित किया जाए यद्यपि इसका अर्थान्वयन सा पाइप्स की सत्ता के अधीन से अधिक संकीर्ण किया जाए । इस बावत, धारा 34(2)(ख)(ii) में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए और नया उपबंध, धारा 34(2क) सम्मिलित किया गया । इन उपबंधों को इस प्रकार कहा गया :

धारा 34(2)(ख)(ii) माध्यस्थम पंचाट भारत की लोक नीति के प्रतिकूल है ।

स्प-टीकरण – किसी शंका को दूर करने के लिए, यह स्प-ट किया जाता है कि कोई पंचाट तभी भारत की लोक नीति के प्रतिकूल है यदि :

(क) पंचाट का कियाजाना कपट या भ्र-टाचार द्वारा प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 के अतिक्रमण में था ;

(ख) यह भारतीय विधि की मूल नीति के उल्लंघन में है ; या

(ग) यह नैतिकता या न्याय की सर्वाधिक आधारभूत अवधारणा के प्रतिकूल है ।

(2क) अंतररा-ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थमों से भिन्न माध्यस्थमों से उद्भूत किसी माध्यस्थम् पंचाट को न्यायालय द्वारा भी अपास्त किया जा सकेगा यदि न्यायालय यह पाता है कि

पंचाट प्रथमदृ-ट्या देखने से ही प्रकट अवैधता से दूनित है ।

परंतु किसी पंचाट को मात्र विधि के गलत लागू किए जाने के आधार या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर ही अपास्त नहीं किया जाएगा ।

10.2 उपरोक्त संशोधन इस अनुमान पर सुझाए गए थे कि "भारतीय विधि की मूल नीति" या "नैतिकता या न्याय की सर्वाधिक आधारभूत धारणा" के विरोध जैसे अन्य निबंधनों का व्यापक अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा ।

10.3 तथापि, अगस्त, 2014 में 246वीं रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के एक मास पश्चात् सितंबर में **ओ.एन.जी.सी. लि.** बनाम **वेस्टर्न जीको इंटरनेशनल लि.**[21] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा "भारत की मूल नीति" पद का व्यापक अर्थान्वयन ऐसे पंचाट को सम्मिलित करने के लिए किया गया कि "कोई युक्तियुक्त व्यक्ति ऐसा नि-कर्-ा नहीं निकालेगा ।" इसके द्वारा लोक नीति का अतिक्रमण करने के आधार पर माध्यस्थम् पंचाट को गुण-दो-ा पर पुनर्विलोकन करने की अनुज्ञा दी गई । **एशोसिएट बिल्डर्स** बनाम **दिल्ली विकास प्राधिकरण**[22] वाले मामले में तारीख 25.11.2014 को तत्पश्चात् दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण किया । **वेस्टर्न जीको** वाले मामले में उच्चतम न्यायलय के शब्द इस प्रकार हैं :

*35. तब प्रश्न यह है कि "भारतीय विधि की मूल नीति" क्या गठित करता है । **ओ.एन.जी.सी. [ओ.एन.जी.सी. लि.***

---

[21] 2014(9) एस. सी. सी. 263.

[22] 2014(4) ए. आर.बी. एल.आर. 307 (एस.सी.).

*बनाम **सा पाइप्स लि.** (2003) 5 एस. सी. सी. 705] वाले मामले का विनिश्चय उस पहलू को स्प-ट नहीं करता । फिर भी, हमारी राय में, पद में ऐसे सभी मूल सिद्धांत सम्मिलित किए जाएं जो इस देश में न्याय के प्रशासन और विधि के प्रवर्तन का आधार बनाते हैं । "भारतीय विधि की मूल नीति" पद के तात्पर्य को व्यापकतः उपवर्णित किए बिना, हम ऐसे तीन सुभिन्न और मूल न्यायिक सिद्धांत को निर्दि-ट करना चाहते हैं जिन्हें आवश्यकतः भारतीय विधि के मूल नीति के अभिन्न भाग के रूप में समझा जाता है । सर्वप्रथम सिद्धांत यह है कि प्रत्येक अवधारण में चाहे न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा हो जो किसी नागरिक के अधिकार को प्रभावित करता है या कोई सिविल परिणाम पैदा करता है वहां न्यायालय या संबद्ध प्राधिकारी उसे अंगीकार करने के लिए बाध्य है जिसे मामले में आम विधिक भा-ा में "न्यायिक सोच" कहा जाता है । न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त शक्ति की प्रकृति से उद्भूत न्यायिक सोच को अंगीकृत करने का कर्तव्य संबद्ध मंच पर पृथकतः या अतिरिक्ततः समादि-ट नहीं किया जा सकता । यह ध्यान रखना होगा कि न्यायिक और न्यायिककल्प अवधारण में न्यायिक सोच का महत्व इस तथ्य पर निर्भर करता है कि जब तक उन शक्तियों का प्रयोग करने वाला न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी जो उनके समक्ष पक्षकारों के अधिकारों या बाध्यताओं को प्रभावित करते हैं, न्यायिक सोच से तादात्म्य संबंध नहीं दर्शाते तब तक वे मनमानेपन, सनकपन या मनमौजीपन से कार्य नहीं कर सकते । न्यायिक सोच यह सुनिश्चित करता है कि प्राधिकारी सद्भाव में कार्य करता है और वि-ाय पर नि-पक्ष, युक्तियुक्त और वस्तुनि-ठ रीति से विचार*

करता है और उसका विनिश्चय किसी बाह्य विचार द्वारा प्रेरित नहीं होता है । उस अर्थ में न्यायिक सोच उन खामियों और कमियों के विरुद्ध नियंत्रण के रूप में कार्य करता है जो न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के विनिश्चय को चुनौती योग्य बना सकते हैं ।

समानतः महत्वपूर्ण और वस्तुतः भारतीय विधि की नीति का आधारभूत सिद्धांत यह है कि न्यायालय और इसी प्रकार न्यायिककल्प प्राधिकारी को अपने समक्ष पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं का अवधारण करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा करना चाहिए । प्रख्यात दूसरे पक्ष को सुनो नियम के अलावा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का एक फलक यह है कि मामले का विनिश्चय करने वाले न्यायालय/ प्राधिकारी को एक तरफ या दूसरी तरफ मत व्यक्त करते समय परिवर्ती तथ्यों और परिस्थितियों पर अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए । विवेक का प्रयोग न करना एक खामी है जो किसी न्यायनिर्णयन के लिए घातक है । विवेक का प्रयोग अत्युत्तमतः मस्ति-क के प्रकटन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और मस्ति-क का उत्तमतः प्रकटन उस विनिश्चय के समर्थन में कारण अभिलिखित कर किया जा सकता है जो न्यायालय या प्राधिकारी कर रहा है । उस दृ-टि से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक का उपयोग करने की अपेक्षा इतनी गहराई से हमारे न्यायशास्त्र में सन्निहित है कि इसे भारतीय विधि की मूल नीति कहा जा सकता है ।

39. प्रशासनिक विधि के उपयुक्त न्यायिक आधार के रूप

*में मान्यताप्राप्त सिद्धांत का अब इतना कम महत्व नहीं है कि ऐसे विनिश्चय जो विप्रतीप या इतने अतार्किक हैं कि कोई युक्तियुक्त व्यक्ति ऐसा नि-कर्-ा नहीं निकाल सकता, को न्यायालय में कायम नहीं रखा जाएगा । विनिश्चयों की विप्रतीपता या अतार्किकता की परख युक्तियुक्ता के बेंसबरी सिद्धांत की कसौटी पर की जाती है [**एशोसिएटेड प्रोविन्शियल पिक्चर हाउस लि.** बनाम **बेंसवरी कारपोरेशन** (1948) 1 के.बी. 223, (1947) 2 आल ई.आर. 680 (सी.ए.)] । ऐसे विनिश्चय जो युक्तियुक्तता के मानकों से हीन हैं, को प्रायः वरि-ठ न्यायालयों की रिट अधिकारिता वाले न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है किंतु कम से कम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन तो किया ही जाए जहां वे उपलब्ध हैं ।*

40. भारतीय विधि की मूल नीति में क्या गठित होगा, का व्यापक उपवर्णन करने का प्रयत्न करना हमारे लिए न तो आवश्यक और न ही उचित है और न ही परिभा-ाा को जकड़जामें में व्यक्त करना संभव है । प्रस्तुत मामले के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है वह यह है कि यदि उनके समक्ष साबित तथ्यों पर मध्यस्थ ऐसा नि-कर्-ा निकालने में असफल रहते हैं जो निकाला जाना चाहिए या यदि उन लोगों ने ऐसा नि-कर्-ा निकाला है जो प्रथमदृ-ट्या अमान्य होने के कारण परिणामतः न्याय का दुरुपयोग कारित करता है तो माध्यस्थम अधिकरण जो काफी स्वच्छंद है और संयुक्ततः पंचाट करने की भूमिका अदा करता है, द्वारा किए गए न्यायनिर्णयन को भी चुनौती दी जा सकती है और इस आधार पर कि क्या आपत्तिजनक भाग शे-ा से पृथक्करणीय है या नहीं, निकाला जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा ।

अतः, अन्य के साथ-साथ, युक्तियुक्तता के बेंसवरी सिद्धांत को अब धारा 34 के अधीन लोक नीति कसौटी के रूप में सम्मिलित किया गया है क्योंकि इसे "भारतीय विधि की मूल नीति" का भाग समझा जाता है ।

10.4 गुण-दो-ा पर किसी पंचाट का पुनर्विलोकन करने की ऐसी शक्ति अधिनियम के उद्देश्य और अंतररा-ट्रीय व्यवहार के प्रतिकूल है। स्वयं 1996 विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के उल्लेख के अनुसार उस विधि के मुख्य उद्देश्यों में से एक "न्यायिक हस्तक्षेप का न्यूनीकरण" था ।[23]

10.5 **वेस्टर्न जीको** वाले मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय न्यायालयों की शक्ति को घटाने के बजाए इसे बढ़ाएगा, और निश्चित ही यह अंतररा-ट्रीय व्यवहार के भी प्रतिकूल है इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्प-टीकरण सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है कि "भारतीय विधि की मूल नीति" पद का संकीर्ण अर्थ निकाला जाए। यदि नहीं, तो "लोक नीति" पद के अर्थान्वयन के संबंध में विधि आयोग द्वारा सुझाए गए सभी संशोधन निरर्थक हो जाएंगे क्योंकि लोक नीति में बेंसवरी सिद्धांत के लागू होने से निश्चित रूप से विवादों की बाढ़ आ जाएगी ।

10.6 इसके चार मुख्य हानिकर प्रभाव होंगे, (क) भारत और विदेश में व्यक्तियों और कारोबारियों में माध्यस्थम् कार्यवाहियों के प्रति आस्था में और कमी ; (ख) अंतररा-ट्रीय और घरेलू वाणिज्यिक माध्यस्थम् के गंतव्य के रूप में भारत की ख्याति में कमी ; (ग) विवाद समाधान की प्रभाविता और गति तथा न्यायिक हस्तक्षेप की क्षमता के

---

[23] 1996 विधेयक, उद्देश्यों और कारणों का कथन, पैरा 4(V).

बारे में घरेलू और विदेशी निवेशकों के बीच निवेशक चिन्ता में वृद्धि ; और (घ) न्यायिक पिछले ढेर में आनु-ांगिक वृद्धि । इस बावत, अधिनियम की धारा 34(2)(ख)(ii) में स्प-टीकरण अंतःस्थापित कर प्रारुप में निम्नलिखित संशोधन का सुझाव दिया जाता है :

"शंका को दूर करने के लिए यह कसौटी कि क्या यह भारतीय विधि की मूल नीति के अतिलंघन में है, हेतु विवाद के गुण-दो-ा का पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा ।"

11. नि-कर्-ा

जब तक आयोग की प्रस्तावित धारा 34(2)(ख)(ii) में उपरोक्त संशोधन को सम्मिलित नहीं किया जाता तब तक "लोक नीति" का व्यापक अर्थान्वयन किया जाता रहेगा और इस बावत विधि आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधनों का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा । इसलिए, आयोग यह सिफारिश करता है कि प्रस्तावित धारा 34(2)(ख)(ii) और स्प-टीकरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

धारा 34(2)(ख)(ii) माध्यस्थम् पंचाट भारत की लोक नीति के प्रतिकूल है ।

स्प-टीकरण 1 – किसी शंका को दूर करने के लिए, यह स्प-ट किया जाता है कि कोई पंचाट तभी भारत की लोक नीति के प्रतिकूल है यदि :

(क) पंचाट का किया जाना कपट या भ्र-टाचार द्वारा प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 के अतिक्रमण में था ;

(ख) यह भारतीय विधि की मूल नीति के उल्लंघन में है ; या

(ग) यह नैतिकता या न्याय की सर्वाधिक आधारभूत अवधारणा के प्रतिकूल है ।

स्प-टीकरण 2 – शंका को दूर करने के लिए यह कसौटी कि क्या यह भारतीय विधि की मूल नीति के अतिलंघन में है, हेतु विवाद के गुण-दो-ा का पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा ।

(2क) अंतररा-ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थमों से भिन्न माध्यस्थमों से उद्भूत किसी माध्यस्थम् पंचाट को न्यायालय द्वारा भी अपास्त किया जा सकेगा यदि न्यायालय यह पाता है कि पंचाट प्रथमदृ-ट्या देखने से ही प्रकट अवैधता से दू-ित है ।

परंतु किसी पंचाट को मात्र विधि के गलत लागू किए जाने के आधार या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर ही अपास्त नहीं किया जाएगा ।

ह0/-
(न्यायमूर्ति ए. पी. शहा)
अध्यक्ष

ह0/-
(न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर)
सदस्य

ह0/-
(प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा)
सदस्य

ह0/-
(न्यायमूर्ति ऊ-ना मेहरा)
सदस्य

ह0/-
(डा. एस. एस. चाहर)
सदस्य-सचिव

ह0/-
(पी. के. मल्होत्रा)
पदेन-सदस्य

ह0/-
(डा. संजय सिंह)
पदेन सदस्य